UPBP010004202023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० (महिलाओं के विरुद्ध अपराध), बलरामपुर।
उपस्थितः सुमित प्रेमी, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(ID No:UP1774)

सत्र परीक्षण संख्या–55/2023

(रजिस्टर पंजीयन संख्या–39/2023)

सी०एन०आर० नं०- UPBP010004202023

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन पक्ष।

बनाम

मोहम्मद शाहिद पुत्र अब्दुल कलीम निवासी मोहनपुर दयालीडीह, थाना तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर।

.............अभियुक्त।

अपराध संख्या–318/2022
धारा–376 भा०दं०संहिता
थाना–तुलसीपुर
जनपद–बलरामपुर।

उपस्थितः–
राज्य की ओर से– श्री कुलदीप सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)
बचाव पक्ष की ओर से– श्री दिनेश कुमार तिवारी, अधिवक्ता

निर्णय

1. पुलिस थाना तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–318/2022 के मामले में अभियुक्त मो० शाहिद के विरूद्ध अन्तर्गत धारा – 376 भा0 दं0 संहिता के तहत आरोप पत्र न्यायालय ए०सी०जे०एम०/सिविल जज (सी०डि०)/एफ०टी०सी०, बलरामपुर में प्रस्तुत किया गया। जिस पर तत्कालीन विद्वान ए०सी०जे०एम०/सिविल जज (सी०डि०)/एफ०टी०सी०, बलरामपुर द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लेते हुए मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाकर सत्र सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 03.02.2023 द्वारा सत्र सुपुर्द किया गया। तदोपरांत यह आपराधिक प्रकरण विचारण हेतु श्रीमान् सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर के आदेश से अन्तरित होकर दिनांक–22.04.2026 को इस न्यायालय में विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विभिन्न

विधि व्यवस्थाओं के अधीन यह प्रतिपादित किया गया है कि निर्णय पारित किये जाते समय पीड़िता के नाम का उल्लेख न किया जाये। तद्नुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **दिनेश उर्फ बुद्धा बनाम राजस्थान राज्य डी०एन०आर० 206 सुप्रीम कोर्ट** 2012 में दिये गये संप्रेषण के अनुसार इस निर्णय में पीड़िता का नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इस निर्णय में पीड़िता के नाम के स्थान पर मात्र "पीड़िता" शब्द का प्रयुक्त किया जायेगा।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अब्दुल कय्यूम द्वारा दिनांक 21.12.2022 को थानाध्यक्ष तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर को प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र/तहरीर इस आशय की दी गई कि प्रार्थी ग्राम दयालीपुर मशमूले मोहनपुर थाना तुलसीपुर जिला बलरामपुर का निवासी है। प्रार्थी की लड़की (पीड़िता) दिनांक–21.12.2022 को समय करीब 01:30 बजे दिन में अपनी बकरी चराने फसीहुद्दीन पुत्र महमूद खाँ निवासी ग्राम दयालीपुर थाना तुलसीपुर के गन्ने के खेत में गयी थी। मो० शाहिद पुत्र कलीम अहमद निवासी ग्राम दयालीपुर उपरोक्त मोटरसाइकिल चकमार्ग पर खड़ा करके अचानक उसकी लड़की (पीड़िता) को अकेला देखकर गन्ने के खेत में जबरदस्ती खींच ले गया और जबरन पीड़िता के साथ दुराचार किया है। प्रार्थी की लड़की गूंगी होने के कारण साफ बोल नहीं सकती केवल इशारे से उसे उक्त घटना को बताया। मो० शाहिद उपरोक्त को भागते हुए कहकशा व नाईला पुत्रीगण जुबेर अहमद ने देखा और पहचाना। मो० शाहिद उपरोक्त एक चरित्रहीन एवं दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है ऐसी दशा में विपक्षी के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

4. वादी मुकदमा द्वारा दिये गये लिखित तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने में मु०अ०सं०–318/2022 अन्तर्गत धारा–376 भा0 दं0 संहिता के तहत अभियुक्त मो० शाहिद के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध होने के बाद प्रकरण विवेचक को विवेचना हेतु प्राप्त हुआ। बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त मो० शाहिद के विरूद्ध धारा – 376 भा०दं०संहिता के तहत आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

5. तत्कालीन विद्वान प्रथम सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर द्वारा दिनांक–24.05.2023 को अभियुक्त मो० शाहिद के विरूद्ध धारा – 376 भा0 दं0 संहिता के तहत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

6. अभियोजन पक्ष की तरफ से उनके कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्न वर्णित साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैंः–

पी०डब्लू०–1 अब्दुल कय्यूम (वादी मुकदमा/पीड़िता के पिता)

पी०डब्लू०–2 कहकशा (वादी मुकदमा की पोती)

पी०डब्लू०–3 पीड़िता (मूक बधिर एक्सपर्ट द्वारा)

पी०डब्लू०–4 डा० अनीता (चिकित्सक)

पी०डब्लू०–5 निरीक्षक विजय कुमार सिंह (विवेचक)

अभियोजन द्वारा दिनांक–08.10.2025 को फर्दे काम पर यह पृष्ठांकित किया गया है कि "श्रीमान् जी, अभियोजन को अन्य कोई साक्षी पेश नहीं करना है। अभियोजन अपना साक्ष्य समाप्त करता है।" फलस्वरुप दिनांक–08.10.2025 को न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

7. अभियोजन की ओर से निम्न दस्तावेजी साक्ष्य पेश एवं सिद्ध किये गये हैंः–

क्र० सं०	**दस्तावेज/वस्तु का विवरण**	**प्रदर्श नम्बर**	**साबित करने वाले साक्षी का नाम**
01	तहरीर	प्रदर्श क–1	अ०साक्षी–1
02	पीड़िता का 164 दं०प्र०संहिता का बयान	प्रदर्श क–2	अ०साक्षी–3
03	पीड़िता की मेडिकोलीगल रिपोर्ट	प्रदर्श क–3	अ०साक्षी–4
04	बाह्य रोगी टिकट	प्रदर्श क–4	अ०साक्षी–4
05	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–5	अ०साक्षी–5
06	जी०डी० दिनांकित–21.12.2022 की कार्बन प्रति	प्रदर्श क–6	अ०साक्षी–5
07	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–7	अ०साक्षी–5
08	आरोप पत्र	प्रदर्श क–8	अ०साक्षी–5
09	गिरफ्तारी मेमो	प्रदर्श क–9	अ०साक्षी–5
10	पीड़िता के बयान धारा–164 दं०प्र०संहिता की पेनड्राइव	वस्तु प्रदर्श–1	अ०साक्षी–3
11	पीड़िता द्वारा तस्दीक की गयी अभियुक्त की फोटो	वस्तु प्रदर्श– 2	अ०साक्षी–3

अभियोजन साक्षीगण की मुख्य परीक्षाः–

8. **अभियोजन साक्षी सं०–1 अब्दुल कयूम (वादी मुकदमा)** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि घटना दिनांक 21.12.2022 को समय करीब डेढ़ बजे दिन की है। पीड़िता उम्र करीब 26 वर्ष उसकी बेटी है, जो कि साफ–साफ बोल नहीं पाती है। घटना

वाले दिन उसकी बेटी/पीड़िता अपनी बकरी चराने फसीउद्दीन पुत्र महमूद खाँ निवासी दयालीपुर (दयालीडीह) के गन्ने के खेत में गयी थी। उसके ही गांव का रहने वाला अभियुक्त शाहिद पुत्र कलीम मोटरसाइकिल से आया और चकरोड़ पर मोटरसाइकिल को खड़ा कर दिया तथा उसकी लड़की को अकेला देखकर चकरोड़ से सटे पश्चिम फसीउद्दीन के गन्ने के खेत में जबरन खींच ले गया तथा जबरदस्ती उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया। गन्ने के खेत से निकल कर घटना के बाद भागते हुए वहां पर खेल रहे बच्चे कहकशा, नाइला ने अभियुक्त को देखा था। घटना की बातें उसकी बेटी ने इशारे में बताया था। चूंकि उसकी बेटी पैदा होने के बाद से उन लोगों के साथ रहती है इसलिए वे उसकी बातों को उसके द्वारा किये गये इशारे से समझ लेते हैं। घटना कारित करने के बाद अभियुक्त शाहिद मोटरसाइकिल से भाग गया था। उसकी बेटी को वहां पर खेल रही उसकी पोतियों कहकशा, गुलशबा व नाइला ने गन्ने के खेत के अन्दर जाकर देखा तो उसकी बेटी खेत में पड़ी थी और उसके कपड़े अस्त–व्यस्त थे। उसकी पोतियों ने पीड़िता के कपड़े ठीक करते हुए उसे घर पर लेकर आये तथा पूरे परिवार वालों का घटना के बारे में पोतियों ने व पीड़िता ने बताया था। फसीउद्दीन के खेत के पश्चिम चकरोड़ है। इस चकरोड़ के पश्चिम उसका व उसके भाई सलीम अहमद का खेत है तथा घटना स्थल फसीउद्दीन के खेत के उत्तर निहाल अहमद का खेत है तथा दक्षिण मसूद का खेत है तथा पश्चिम किताबुल्ला का खेत है। उसके खेत के दक्षिण उसका मकान है। घटना के समय फसीउद्दीन के खेत में गन्ने की फसल लगी हुई थी। इस घटना की रिपोर्ट घटना वाले ही दिन उसने लगभग 4–5 बजे के बीच थाने पर जाकर लिखित तहरीर देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया था। तहरीर पर उसने हस्ताक्षर बनाया था। पत्रावली शामिल तहरीर कागज संख्या–4क/3 की ओर साक्षी का ध्यान आकृष्ट कराया गया तो साक्षी ने उक्त तहरीर व उसपर बने हस्ताक्षर को तस्दीक किया, उस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। दोरागा जी ने उसका बयान लिया था। यही सब बाते उसने दरोगा जी को बताया था।

9. **अभियोजन साक्षी सं०–2 कहकशा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि पीड़िता उसकी बुआ है। उसकी बुआ बोल नहीं सकती है। गुलसबा उसकी छोटी बहन है तथा नायला उसकी चचेरी बहन है। घटना दिनांक 21.12.2022 समय करीब दिन में पौने दो बजे की है। पौने दो बजे वह अपने घर के बाहर दुआरे पर थी। फसीउद्दीन का खेत उसके घर के उत्तर तरफ है। फसीउद्दीन के खेत के पश्चिम चकरोड़ है। उस चकरोड के पश्चिम उनका खेत है। जब वह अपने घर के सामने खड़ी थी, उसी समय नाइला व गुलसबा अपने खेत के सामने चकरोड़ पर खड़ी थी। उनको खेलते देखकर वह भी उनके पास चली गयी थी। उस चकरोड़ पर शाहिद की पल्सर मोटरसाइकिल खड़ी थी। फसीउद्दीन के खेत से उसने शाहिद को निकलते हुए देखा था, वह घबड़ाहट में बाइक को लेकर वहां से चला गया। उसको शक हुआ कि उसकी फूफी जो वहां पर बकरी चराने गयी थी, उसे न देखकर वे लोग

फसीउद्दीन के खेत में गयी तो उन लोगों ने देखा कि उसकी फूफी के शरीर पर कपड़े नहीं थे, अस्त–व्यस्त थे। उसकी फूफी रो रही थी, उन लोगों ने पीड़िता को उनका कपड़ा पहनाकर उनको लेकर अपने घर पर आये। उसकी फूफी ने इशारे से उन लोगों को घर में सबको बताया कि उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है। वे लोग अपनी फूफी के समस्त इशारों का समझते हैं। घटना के समय फसीउद्दीन के खेत में गन्ने की फसल लगी थी। उसके बाबा का नाम अब्दुल कय्यूम है। उसके बाबा उसकी बुआ को लेकर घटना के दिन ही रिपोर्ट लिखाने थाने पर गये थे। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

10. **अभियोजन साक्षी सं०–3 पीड़िता (चूंकि पीड़िता मूकबधिर है इसलिए उसकी परीक्षा मूक बधिर विशेषज्ञ चन्द्रमणि सिंह के माध्यम से करायी गयी।) ने** अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसका नाम XXX है। उसके पिता का नाम कय्यूम है। पीड़िता का ध्यान पत्रावली में शामिल अभियुक्त शाहिद की फोटो को दिखाकर इशारे में पूंछा गया तो उसको उसने देखा है। साक्षी ने बताया कि उसने गन्ना के खेत में उसका सलवार उतारा था। उसने उसका कपड़ा नहीं फाड़ा था। अभियुक्त शाहिद ने सीना पकड़ा नहीं था। पीड़िता से उसके वजाइनल अंग की ओर इशारे से विशेषज्ञ द्वारा पूछने पर उसने अपने वजाइनल पार्ट को छूने के सम्बन्ध में इशारे से बताया। पीड़िता ने इशारे से विशेषज्ञ को बताया कि उसके साथ में अभियुक्त शाहिद ने बलात्कार किया है। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 9 क/1 लगायत 9 क/5 की ओर साक्षी का ध्यान आकृष्ट कराया गया तो साक्षी ने अपनी फोटो व निशानी अँगूठे बयान को इशारे से तस्दीक किये तथा इशारे से बताया कि आज न्यायालय पर उपस्थित विशेषज्ञ की उपस्थिति में पूर्व में न्यायालय पर बयान हुआ था। साक्षी ने उसे तस्दीक किया। जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। पत्रावली में शामिल पेनड्राइव 11 ख बयान अंतर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता सीलबन्द पाया गया। जिस पर **वस्तु प्रदर्श –1** अंकित किया गया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 14 ख फोटो अभियुक्त का पीड़िता द्वारा तश्दीक किया गया जिस पर **वस्तु प्रदर्श–2** डाला गया। मूक बधिर विशेषज्ञ ने बताया कि उसके समक्ष मजिस्ट्रेट महोदय के न्यायालय पर उसके द्वारा पूंछने पर लिखा गया था। इस पर उसका हस्ताक्षर बना है।

11. **अभियोजन साक्षी सं०–4 डाक्टर अनीता** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 22.12.2022 को उसकी ड्यूटी एम०आई०के० हास्पिटल में महिलाओं के मेडिकोलीगल हेतु लगी थी। उश समय उसकी पोस्टिंग सी०एच०सी० श्रीदत्तगंज में थी। उस दिन 22.12.2022 को एम०आई०के०महिला अस्पताल में पीड़िता को महिला का०मीनाक्षी सिंह PNO No–212170036 थाना तुलसीपुर मुकदमा अपराध संख्या 318/2022 धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता थाना तुलसीपुर की उपरोक्त पीड़िता को

लेकर उसके समक्ष आयी थी। पीड़िता होशो हवाश में थी परन्तु न सुन पा रही थी न ही साफ बोल ही पा रही थी। पीड़िता के साथ में उसकी भाभी साफिया पत्नी जुबेर थीं। उसने पीड़िता के पहचान चिन्ह के रूप में उसका लेफ्ट व राइट अंगूठे का निशान मेडिकोलीगल कागजात पर लगवाया था तथा उसके भाभी का भी निशानी अंगूठा मेडिकोलीगल कागजात पर बनवाया था। पीड़िता अविवाहित थी। करीब 12 वर्ष से उसे मासिक धर्म होता था। मासिक धर्म नार्मल था। अन्तिम मासिक धर्म 07.12.2022 को बताया गया। पीड़िता के घटना के समय पहने हुए वस्त्र कुर्ता व सलवार महिला कान्सटेबल को सील करके एफ०एस०एल० जांच हेतु दिया गया था। घटना के समय वाला कपड़ा पीड़िता ने चेंज नहीं किया था न ही धुला था। घटना के बाद पीड़िता लैट्रिन तथा बाथरूम की आवश्यकता पड़ने पर गयी थी। जब उसके पास पीड़िता मेडिकोलीगल के लिए गई थी, उस समय घटना हुए एक दिन, तीन घंटा लगभग बीत चुका था। पीड़िता का पल्स, बी०पी० नार्मल था। पीड़िता के शरीर पर कोई बाह्य इंजरी नहीं पायी गयी थी। हाइमन पीड़िता का फटा हुआ था। पीड़िता के वेजाइना में डिसचार्ज तरल पदार्थ पाया गया था। उसने वेजाइनल स्मेयर और स्वैब लिया था तथा वल्–वल(Vulval) स्मैयर व स्वाब भी लिया था। पीड़िता का वेजाइनल मुआयना करने पर उसने यह राय दी थी कि पीड़िता के साथ सेक्सुअल असाल्ट से इंकार नहीं किया जा सकता है। अन्तिम राय FSL रिपोर्ट पर ही पेन्डिंग की गयी थी। साक्षी ने फारेन्सिक जांच हेतु पीड़िता का ब्लड टेस्ट लिया था, यूरिन सैम्पल सैंपल लिया था और एक लिफाफे में पीड़िता के सर के बाल कंघी से निकाले थे। स्कल्प हेयर 7 से 10, दांये व बांये हाथ के नाखून तथा नाखून के अन्दर की स्क्रैपिंग तथा प्यूबिक हेयर कटिंग करके लिया गया था। दूसरे लिफाफे में वल्–वल(Vulval) स्मेयर, वल्–वल(Vulval) स्वैब, वैजाइनल स्मेयर व वेजाइनल स्वैब, सरवाइकल स्मेयर व सरवाइकल स्वैब लिया था। नमूना मोहर डी०एन०ए० हेतु पीड़िता का ब्लड भी लिया गया था। मेडिकोलीगल रिपोर्ट उसने अपने लेख व हस्ताक्षर से तैयार की थी। पत्रावली में शामिल मेडिकोलीगल रिपोर्ट कागज संख्या 10क/01 लगायत 10क/10 तथा कागज संख्या 10क/11 उसके लेख व हस्ताक्षर मे है। उन दोनों कागजों को उसने तश्दीक किया जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–3 व प्रदर्श क–4 अंकित किया गया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या–10क/12 ब्लड व यूरिन टेस्ट रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता प्रेग्नेंट नहीं थी। विवेचक को उसने बयान दिया था।

12. **अभियोजन साक्षी सं०–5 निरीक्षक विजय कुमार सिंह** ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि मुकदमा अपराध संख्या– 318/2022 अन्तर्गत धारा 376 आई.पी.सी. थाना तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर की विवेचना उसने दिनांक 21.12.2022 को ग्रहण करते हुये जिरये सीडी नं. 01 नकल तहरीर, नकल रपट कायमी रपट नं. 48 समय 17:02 बजे दिनांक 21.12.2022 का अवलोकन करते हुये बयान एफ. आई. आर. हेड

मोहर्रिर विपिन कुमार पांडेय अंकित किया तथा मुकदमा से संबंधित पीड़िता उपरोक्त को महिला का० मीनाक्षी सिंह द्वारा मेडिकल परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तुलसीपुर ले जाया गया तत्पश्चात् वादी मुकदमा के घर से मय हमराही पुलिसबल के प्रस्थान कर अभियुक्त शाहिद पुत्र कलीम अहमद निवासी ग्राम दयालीपुर, मसमूले मोहनपुर, पोस्ट गुदरा, थाना तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर के घर आया, अभियुक्त को तलाश किया, नहीं मिला पता चला कि अभियुक्त घटना के बाद से गाँव से भगा हुआ है। अभियुक्त की पतारशी सुरागरशी हेतु मुखबिर मामूर किया गया, किता केस डायरी किया गया। दिनांक 22.12.2022 को जरिये सीडी नं. 02 अभियोग से संबंधित वादी अब्दुल कय्यूम अपनी पुत्री पीड़िता व पुत्रवधू साफिया पत्नी जुबैर, पोता साबिर, पोती कहकशा व गुलशबा व नायला उपस्थित थाना आये। पीड़िता का बयान दर्ज करने हेतु महिला का० मीनाक्षी सिंह को निर्देशित किया गया, महिला का० मीनाक्षी सिंह द्वारा पीडिता जो गूंगी है, वरन् समझने में सक्षम है जोकि सिर हिलाकर प्रश्नों का सही जवाह दे रही है, का बयान 161 सीआरपीसी पीड़िता की भाभी साफिया की मौजूदगी में दर्ज किया गया, जिसे मूलरूप से संलग्न सीडी किया गया था तथा पीड़िता का 161 सीआरपीसी का बयान किता केस डायरी किया गया एवं वादी मुकदमा अब्दुल कय्यूम परिस्थितिजन्य साक्षी कहकशा पुत्री जुबैर, गुलशबा पुत्री जुबैर, नायला पुत्री जैश मोहम्मद का बयान अंकित किया गया। इनकी निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण करते हुये मौके पर नक्शानजरी बनाया गया, का उल्लेख किता केस डायरी किया गया। दिनांक 23.12.2022 को जरिये सीडी नं. 03 अवलोकन मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट किता किया गया तथा उपरोक्त मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट को भी किता केस डायरी किया गया।जरिये जीडी नं. 58 दिनांक 22.12.2022 समय 18:30 बजे पीड़िता का मेडिकल परीक्षण के बाद उसके पिता कय्यूम तथा भाभी सोफिया हमराह कर उनके घर रुखसत किया तथा संबंधित पीड़िता का सीलबन्द मय नमूना मुहर डिब्बा डी.एन.ए. सैम्पल जिस पर हस्ताक्षर चिकित्साधिकारी एम.आई. के. जिला चिकित्साधिकारी महोदय बलरामपुर दो अदद बन्द लिफाफा व सील बन्द पोटली एक मेडिकोलीगल रिपोर्ट 10 वर्क व 1 अदद सूची नमूना मुहर संबंधी अंकना जीडी में अंकित की गई, किता केस डायरी किया गया। दिनांक 23.12.2022 जरिये सीडी नं. 04 पीड़िता का 164 सीआरपीसी बयान हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया गया, न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया कि पीड़िता गूंगी है, तथा बोलने में अक्षम है, इसलिये पीड़िता को मूक बधिर विशेषज्ञ तथा वीडियोग्राफी टीम के साथ बयान हेतु प्रस्तुत करें। मूक बधिर विशेषज्ञ को नामित करने हेतु श्रीमान जिला बेसिक शिक्षाधिकारी बलरामपुर को अलग से प्रेषित की गई, किता केस डायरी किया गया। दिनांक 25.12.2022 को जरिये सीडी नं. 05 अभियुक्त मो. शाहिद पुत्र अब्दुल कलीम निवासी ग्राम–मोहनपुर दयालीडीह, थाना तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर की गिरफ्तारी करते हुये मौके पर ही गिरफ्तारी मेमो तैयार करते हुये नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभियुक्त मो. शाहिद का बयान अंकित किया गया जिसे किता केस

डायरी किया गया तथा माननीय न्यायलय से 14 दिवस न्यायिक अभिरक्षा रिमांड स्वीकृत करने हेतु याचना की गई। दिनांक 03.01.2023 को जरिये सीडी नं०– 06 पीड़िता का 164 सीआरपीसी बयान हेतु महिला का. मीनाक्षी सिंह पीड़िता सहित श्री चन्द्रमणि सिंह मूक बधिर विशेषज्ञ सहित न्यायालय हेतु रवाना किया गया, किता केस डायरी किया गया। दिनांक 04.01.2023 को जरिये सीडी नं. 07 किता केस डायरी किया गया। दिनांक 04.01.2023 को जरिये सीडी नं. 08 पीड़िता का 164 सीआरपीसी का बयान न्यायालय पर विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कर दर्ज किया गया। न्यायालय से अनुमति लेकर बयान पीड़िता 164 सीआरपीसी का अवलोकन करते हुये किता केस डायरी किया गया। जरिये सीडी नं. 09, दिनांक 07.01.2023 को अभियुक्त की रिमांड याचना न्यायालय से की गई, किता केस डायरी किया गया। जरिये सीडी नं. 10 दिनांक 07.01.2023 को उपरोक्त मुकदमे से संबंधित माल परीक्षण हेतु संबंधित प्रदर्श का डॉकेट बनवाकर का० शहीद को सुपुर्द कराकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोंडा में दाखिल करने हेतु हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 08.01.2023 को जरिये सीडी नं. 11 विधि विज्ञान प्रयोगशाला डॉकेट रिसीविंग रसीद प्राप्त हुई, जिसे अवलोकन कर किता केस डायरी किया गया, तथा महिला का. मीनाक्षी सिंह का बयान अंकित करते हुये पीड़िता का 161 सी.आर.पी.सी. के वीडियोरिकार्डिंग सी.डी. महिला का०. मीनाक्षी सिंह से प्राप्त कर कब्जे में लेकर सील व सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया, संलग्र केस डायरी किया गया तत्पश्चात् पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करने वाली डॉक्टर श्रीमती अनीता के बयान हेतु सी.एच.सी. श्रीदत्तगंज पहुँचकर इनका बयान अंकित किया गया। अबतक के गवाहों व पीड़िता के बयान व पीड़िता के 164 के बयान घटनास्थल निरीक्षण पीड़ित का मेडिकोलीगल आदि से अभियुक्त मो० शाहिद पुत्र कलीम के विरुद्ध धारा 376 आई.पी.सी. के तहत अपराध प्रथमदृष्टया साबित होता है, उपरोक्त अभियुक्त का चालान जरिये आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी, आगे आने पर न्यायालय को प्रेषित की जाएगी। बाद में विधि विज्ञान प्रयोगशाला जरिये सीडी नं. 12 दिनांक 18.06.2024 को उपनिरीक्षक श्रवण चंद द्वारा प्रेषित की गई है।पत्रावली में दाखिल कागज सं. 4 क/1 लगायत 4 क/2 चिक एफ.आई.आर. तथा कागज सं. 9 क/6 कायमी जीडी की ओर साक्षी का ध्यान आकृष्ट कराया गया साक्षी ने बताया कि उपरोक्त दोनों कागजात एच.एम. विपिन कुमार पांडेय थाने के सीसीटीएनएस कम्प्यूटर पर तैयार किया गया था, इसे मैं तस्दीक करता हूँ, इस पर क्रमशः प्रदर्श क 5 तथा प्रदर्श क 6 अंकित किया गया। हेड मोहर्रिर विपिन कुमार की मृत्यु हो चुकी है, पत्रावली में शामिल कागज सं. 6 क नक्शानजरी घटनास्थल की ओर साक्षी का ध्यान आकृष्ट कराया गया, साक्षी ने इस नक्शानजरी व अपने हस्ताक्षर को तस्दीक किया, इस पर प्रदर्श क 7 अंकित किया गया। पत्रावली में शामिल कागज सं. 5 क/1 लगायत 5 क/2 आरोपपत्र की ओर साक्षी का ध्यान आकृष्ट कराया

गया, साक्षी ने इसे और इस पर बने अपने हस्ताक्षर को तस्दीक किया, इस पर प्रदर्श क 8 अंकित किया गया। पत्रावली में शामिल गिरफ्तारी मेमो कागज सं. 12 क/9 की ओर साक्षी का ध्यान आकृष्ट कराया गया, साक्षी ने इसे और इस पर बने अपने हस्ताक्षर को तस्दीक किया, इस पर प्रदर्श क 9 अंकित किया गया।

अभियुक्त की परीक्षा

13. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 351 भा०ना०सु०संहिता अंकित किया गया। अभियुक्त ने कथन किया कि अभियोजन कथानक को गलत है। पी०डब्लू० –1 व पी०डब्लू०– 2 द्वारा गलत बयान देने का कथन किया। पी०डब्लू०–3 के द्वारा पीड़िता का गलत बयान बताये जाने का कथन किया। पी०डब्लू०–4 व पी०डब्लू०–5 के द्वारा गलत प्रपत्र तैयार किये जाने व उन्हे गलत साबित किये जाने का कथन किया है। अभियुक्त ने कथन किया कि उसके विरुद्ध रंजिशन मुकदमा चलाया गया है। उसके व उसके परिवार के विरोधियों द्वारा वादी मुकदमा से मिलकर साजिशन मकुदमा चलाया गया है तथा यह भी कथन किया कि वह निर्दोष है। उसे गलत फंसाया गया है। उसके व उसके परिवार की छवि को बिगाड़ने के लिए ऐसा किया गया है। उसके पास या उसके नाम से कोई मोटरसाइकिल न थी और न है। अभियुक्त ने कोई सफाई साक्ष्य नहीं देने का कथन किया है।

14. राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकिया अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

15. अभियोजन की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने अपने मौखिक तर्क में कहा कि कथित घटना दिनांक–21.12.2022 को समय करीब 01:30 बजे दिन में वादी मुकदमा की लड़की(पीड़िता), जो कि ठीक से बोल नहीं सकती है, इशारों से अपनी बात को समझाती है, गांव के फसीउद्दीन के गन्ने के खेत में अपनी बकरी चराने गयी थी। तभी अभियुक्त मो० शाहिद उसकी लड़की को अकेला देखकर उसके पास गया और उसे जबरदस्ती गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। अभियुक्त को गन्ने के खेत से भागते हुए उसकी पोतियों कहकशा व नायला ने देखा था। उसकी लड़की ने घर पर सभी को इशारे से अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार किये जाने की घटना को बताया था। पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान अंतर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता में (मूक बधिर विशेषज्ञ) के माध्यम से एवं न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान(मूक बधिर विशेषज्ञ) में अभियुक्त के द्वारा उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किये जाने का कथन स्पष्ट रूप से किया

गया है। साक्षी पी०डब्लू०–2 जिसने अभियुक्त को गन्ने के खेत, जोकि घटनास्थल है से घटना के बाद निकलते हुए देखा था, अभियोजन कथान का समर्थन किया है। चिकित्सक द्वारा अपने बयान में अपना अभिमत व्यक्त करते हुए कथन किया है कि पीड़िता से साथ सेक्सुअल एसाल्ट से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण ने घटना को पूर्ण रूप से संदेह से परे साबित किया है।

16. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मामले में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो कि अभियुक्त के द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया। पीड़िता के मेडिकोलीगल रिपोर्ट में पीड़िता के कोई चोट के निशान नहीं पाये गये हैं और न ही पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक के द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष, न अपनी रिपोर्ट में दिया गया है जिससे कि यह साबित हो सके कि पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न (बलात्कार) जैसी घटना कारित की गयी हो। अभियोजन उक्त घटना को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। पीड़िता के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है जिसके सम्बन्ध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है जिससे पूरा मामला संदिग्ध साबित होता है। अतः इस मामले में अभियुक्त संदेह का लाभ पाने के अधिकारी है एवं दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

साक्ष्य विश्लेषणः–

17. अभियुक्त मो० शाहिद के विरुद्ध बाद विवेचना, प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर धारा–376 भा०दं०संहिता के तहत आरोप विरचित किया गया है। अभियोजन को अपने साक्ष्य से यह सन्देह से परे साबित करना है कि अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध कारित किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों व विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में अन्तिम निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु निम्न बिन्दु विचारणीय हैंः–

(I) क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से है, यदि हां तो उसका प्रभाव?

18. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि घटना दिनांक 21.12.2022 दिन में करीब 01.30 बजे की है जबकि उक्त मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21.12.2022 को समय करीब 05:02 बजे लिखायी गयी है जो करीब साढ़े तीन घण्टे विलम्ब से है जबकि घटनास्थल से थाने की दूरी करीब 06 km ही है। अभियोजन की ओर से विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

19. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा उक्त तर्क का खंडन करते हुए कथन किया गया है कि चूंकि पीड़िता ठीक से बोल नहीं सकती, और घटना के बाद उस समय वह काफी डरी हुई होगी, इसलिये उसकी बात समझने में परिवार को कुछ समय लगना स्वाभाविक है। इसके अलावा घटना के समय पीड़िता के पिता घर पर मौजूद नहीं थे, ऐसे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने में तीन–चार घण्टे का विलम्ब होना स्वाभाविक है।

20. इस सम्बन्ध में पी०डल्बी० –1 वादी मुकदमा (पीड़िता के पिता) ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना की रिपोर्ट घटना वाले ही दिन उसने लगभग 4–5 बजे के बीच थाने पर जाकर लिखित तहरीर देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर पर उसने हस्ताक्षर बनाया था। साक्षी ने उक्त तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित भी किया है। पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा ने जिरह में कथन किया कि थाने पर रिपोर्ट लिखाने वह, उसका पोता और गाड़ी का ड्राइवर गया था। पी०डब्लू०–2 ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके बाबा घटना के दिन ही रिपोर्ट लिखाने गये थे।

21. यहां निम्नलिखित विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक हैः–

अप्रेन जोसेफ बनाम केरला राज्य ए०आई०आर० 1973 एससी 1, 1973 क्रि0 एल०जे० में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने में देरी हमेशा अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होती है, यह केवल संदेह को जन्म देती है जो न्यायालय को सम्भावित जांच के लिए सतर्क करती है।

22. उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पीड़िता जो ठीक से बोल नहीं पाती है, उसने इशारो से अपने परिवार को उसके साथ कारित की गई घटना के बारे में बताया, उसके पिता (वादी मुकदमा) जब घर आये तब उन्हें घटना के बारे में जानकारी हुई और उन्होने जाकर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। घटनास्थल से थाने की दूरी करीब छः किलोमीटर है और प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना कारित होने के मात्र साढ़े तीन घण्टे बाद दर्ज हुई है। अतः उपरिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था से मार्गदर्शन लेने से यह स्पष्ट है कि विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने का युक्तियुक्त स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो विश्वसनीय है। इसका कोई लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त नहीं होगा।

(II) क्या अभियुक्त के द्वारा पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार (अयुक्त संभोग) किया गया?

23 बलात्कार के मामले में पीड़िता की उम्र अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जहाँ तक इस मामले की पीडिता की उम्र का सम्बंध है। वादी मुकदमा जो कि पीड़िता का पिता है, ने तहरीर (प्रदर्श क–1) में पीड़िता की उम्र–26 वर्ष बताई है। वादी मुकदमा न्यायालय के समक्ष पी०डब्लू०–1 के रूप में परीक्षित हुआ है, उसने मुख्य परीक्षा में भी पीड़िता को 26 वर्ष की होने का कथन किया है। इस प्रकार पीड़िता के बालिग अथवा नाबालिग होने के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाये गये हैं। अतः पीड़िता घटना के समय अविवादित रूप से वयस्क थी।

24. बलात्कार के मामलों में पीड़िता सबसे महत्वपूर्ण साक्षी होती है और एक मात्र पीड़िता का साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह भी सुस्थापित विधिक सिद्धान्त है, कि पीड़िता के एक मात्र विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धी का आदेश पारित किया जा सकता है। पीड़िता के विश्वसनीय साक्ष्य की किसी अन्य स्वतंत्र साक्ष्य से सम्पुष्टि होना आवश्यक नही है। किन्तु पीड़िता का साक्ष्य अत्यंत सावधानीपूर्वक मूल्यांकित किया जाना चाहिए और न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि क्या एक मात्र पीड़िता का साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय है और ऐसा कोई भी तथ्य नही है, जिससे उसके साक्ष्य पर लेस मात्र भी संदेह उत्पन्न होता हो। यदि ऐसा है तो पीड़िता के एक मात्र साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धि का आदेश पारित किया जा सकता है। इसी आशय का सिद्धान्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने **उ०प्र०राज्य बनाम छोटे लाल, ए0आई0आर0 2011, सुप्रीम कोर्ट, 697,** में प्रतिपादित किया है।

25. प्रस्तुत प्रकरण में अब यह देखा जाना है कि क्या पीड़िता का साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय है और पीड़िता का साक्ष्य उपरोक्त कसौटी पर खरा उतरता है एवं पीडिता के एक मात्र साक्ष्य के आधार पर इस मामले में दोषसिद्ध का आदेश पारित किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा (पीड़िता के पिता) ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि घटना दिनांक 21.12.2022 को समय करीब डेढ़ बजे दिन की है। पीड़िता उम्र करीब 26 वर्ष उसकी बेटी है, जो कि साफ–साफ बोल नहीं पाती है। घटना वाले दिन उसकी बेटी/पीड़िता अपनी बकरी को चराने फसीउद्दीन पुत्र महमूद खाँ निवीसी दयालीपुर (दयालीडीह) के गन्ने के खेत में गयी थी। उसके ही गांव का रहने वाला अभियुक्त शाहिद पुत्र कलीम मोटरसाइकिल से आया और चकरोड़ पर मोटरसाइकिल को खड़ा कर दिया तथा उसकी लड़की को अकेला देखकर चकरोड़ से सटे पश्चिम फसीउद्दीन के गन्ने के खेत में जबरन खींच ले गया तथा जबरदस्ती उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया। गन्ने के खेत से निकल कर घटना के बाद भागते हुए वहां पर खेल रहे बच्चे कहकशा, नाइला ने अभियुक्त को देखा था। घटना की बातें उसकी बेटी ने इशारे में बताया था। चूंकि उसकी बेटी पैदा होने के बाद से उन लोगों के साथ रहती है इसलिए वे उसकी बातों को उसके द्वारा किये गये इशारे से

समझ लेते हैं। घटना कारित करने के बाद अभियुक्त शाहिद मोटरसाइकिल से भाग गया था। उसकी बेटी को वहां पर खेल रही उसकी पोतियों कहकशा, गुलशबा व नाइला ने गन्ने के खेत के अन्दर जाकर देखा तो उसकी बेटी खेत में पड़ी थी और उसके कपड़े अस्त–व्यस्त थे। उसकी पोतियों ने पीड़िता के कपड़े ठीक करते हुए उसे घर पर लेकर आये तथा पूरे परिवार वालों का घटना के बारे में पोतियों ने व पीड़िता ने बताया था। आगे कथन किया कि घटना की रिपोर्ट घटना वाले हीदि उसने लगभग चार–पांच बजे के बीच थाने पर जाकर लिखित तहरीर देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया था। तहरीर पर उसने हस्ताक्षर किया था।

26. प्रतिपरीक्षा में पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा ने कथन किया कि उसने अपनी आँख से कोई घटना होते हुए नहीं देखा था। वह नमाज पढ़ने गया था। जिस दिन की घटना है उस दिन जुम्मा था या नहीं उसे याद नहीं है। वह जुम्मा की नमाज पढ़कर घर चला आया था। घटना के बारे में उसे उसकी पोती कहकशा, गुलसबा व नाइला ने बताया था। तीनो लड़कियाँ 15, 16, 17 साल की होंगी। वह अपनी पोतियों के बताने पर थाने चला गया और रिपोर्ट दर्ज कराया।

27. पी०डब्लू०–2 कहकशा ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि पीड़िता उसकी बुआ है। उसकी बुआ बोल नहीं सकती है। गुलसबा उसकी छोटी बहन है तथा नायला उसकी चचेरी बहन है। घटना दिनांक 21.12.2022 समय करीब दिन में पौने दो बजे की है। पौने दो बजे वह अपने घर के बाहर दुआरे पर थी। फसीउद्दीन का खेत उसके घर के उत्तर तरफ है। फसीउद्दीन के खेत के पश्चिम चकरोड़ है। उस चकरोड के पश्चिम उनका खेत है। जब वह अपने घर के सामने खड़ी थी, उसी समय नाइला व गुलसबा अपने खेत के सामने चकरोड़ पर खड़ी थी। उनको खेलते देखकर वह भी उनके पास चली गयी थी। उस चकरोड़ पर शाहिद की पल्सर मोटरसाइकिल खड़ी थी। **फसीउद्दीन के खेत से उसने शाहिद को निकलते हुए देखा था, वह घबड़ाहट में बाइक को लेकर वहां से चला गया।** उसको शक हुआ कि उसकी फूफी जो वहां पर बकरी चराने गयी थी, उसे न देखकर वे लोग फसीउद्दीन के खेत में गयी तो उन लोगों ने देखा कि उसकी फूफी के शरीर पर कपड़े नहीं थे, अस्त–व्यस्त थे। उसकी फूफी रो रही थी, उन लोगों ने पीड़िता को उनका कपड़ा पहनाकर उनको लेकर अपने घर पर आये। **उसकी फूफी ने इशारे से उन लोगों को घर में सबको बताया कि उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है। वे लोग अपनी फूफी के समस्त इशारों का समझते हैं।** घटना के समय फसीउद्दीन के खेत में गन्ने की फसल लगी थी।

28. प्रतिपरीक्षा में पी०डब्लू०–2 ने कथन किया कि वह कक्षा छः तक पढ़ी है। अब वह नहीं पढ़ती है। उसे अपनी जन्मतिथि याद नहीं है। उस सन् भी नहीं पता है कि किस सन्

में वह पैदा हुई थी। आगे कथन किया कि उसके अब्बा मुम्बई में रहते हैं। घटना वाले दिन उसके अब्बा मुम्बई में थे। उसके अब्बा चार भाई है। सबसे बड़े उसके अब्बा है, उसके बाद गैश, कुवेश उसके बाद ऐश हैं। ये चारो भाई घटना वाले दिन घर पर नहीं थे। उसके बड़े भाई का नाम साबिर है, वह घटना वाले दिन घर पर मौजूद था। साक्षी ने आगे कथन किया कि उसने शाहिद व अपनी बुआ (पीड़िता) को एक साथ नहीं देखा था। उसके घर से गन्ने का खेत 40 कदम की दूरी पर होगा। वह अपने घर के बाहर दुआरे पर थी। गुलसबा उसकी सगी बहन है। नाइला उसके चाचा गैश की लड़की है। ये दोनो गन्ने के खेत के पास खेल रही थी। ये दोनो गिट्टक खेल रही थी। गिट्टक का मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। आगे कहा कि उसने दरवाजे से उन दोनो के देखा किन्तु उन्हें डाटा नहीं। साक्षी ने आगे कथन किया कि वह हीरो–होन्डा, पल्सर, अपाची, बुलेट मोटरसाइकिल को अलग–अलग नहीं पहचान सकती है। फिर कहा कि हीरो–होण्डा व पल्सर को अलग–अलग पहचान सकती है।

29. इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण के स्पष्ट होता है कि पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा व पी०डब्लू०–2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथनाक को पूरी तरह साबित किया है, प्रतिपरीक्षा में पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा ने बचावपक्ष के प्रश्नो का उत्तर देते हुए कथन किया कि घटना के समय वह घर पर नहीं था उसने घटना होते हुए अपनी आँख से नहीं देखा। उसकी पोतियों के बताने पर वह रिपोर्ट लिखाने थाने पर गया था। वहीं पी०डब्लू०–2 जिसने अभियुक्त को कथित घटनास्थल से भागते हुए देखा था और पीड़िता को घर लेकर आई थी, उसने बचावपक्ष का प्रश्नो के उत्तर देते हुए कथन किया कि उसने शाहिद व अपनी बुआ (पीड़िता) को एक साथ नहीं देखा था। परन्तु बचावपक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा में पी०डब्लू०–2 के साक्ष्य कि उसने अभियुक्त को गन्ने के खेत (कथित घटनास्थल) से भागते हुए देखा था, को चुनौती नहीं दी गयी जिससे घटना के समय घटनास्थल पर अभियुक्त के मौजूद होने का साक्ष्य पूरी तरह से बरकरार है व सत्य साबित होता है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि चूंकि प्रश्नगत मामला बलात्कार से सम्बन्धित है तो ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति का घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना अत्यन्त कठिन है ऐसे में पूरे घटना क्रम की एक मात्र साक्षी पीड़िता ही होती है। परन्तु प्रश्नगत मामले में साक्षी पी०डब्लू०–2 के साक्ष्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता जबकि उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने अभियुक्त को घटनास्थल से भागते हुए देखा है और बचावपक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा में उसके साक्ष्य का खण्डन नहीं किया जा सका है।

क्या एक मात्र साक्षी के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है?

30 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **विधि व्यवस्था– कृष्ण कुमार मलिक बनाम**

हरियाणा राज्य (2011) 7 एस०सी०सी० 130 में यह अभिमत व्यक्ति किया गया है कि लैंगिक अपराधों के मामलों में पीड़िता का एकमात्र साक्ष्य अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है किन्तु ऐसा साक्ष्य ठोस, विश्वसनीय और भरोसे पर किसी प्रकार का आक्षेप न हो। उपरोक्त अभिमत को माननीय न्यायालय द्वारा **क्रिमिनल अपील सं0 680/2020 गनेशन बनाम राज्य द्वारा इन्सपेक्टर आफ पुलिस में** पूर्णपीठ में पारित निर्णय दिनांकित 14.10.2020 में पुनः दोहराया गया। विधि व्यवस्था **2017 सी.आ.एल.जे.–4365 मुकेश बनाम स्टेट एन.सी.टी. स्टेट ऑफ दिल्ली के मामले** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि पीड़िता के साक्ष्य के सम्पोषण की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि पीड़िता के साक्ष्य में कोई घोर अनियमितता या कोई गम्भीर त्रुटि परिलक्षित न होती हो तो पीड़िता के साक्ष्य के आधार पर ही अभियुक्त को दण्डित किया जा सकता है। पीड़िता के साक्ष्य में आए छोटे–छोटे विरोधाभास या त्रुटियां पीड़िता के साक्ष्य की सचाई का हॉलमार्क है। छोटे–मोटे विरोधाभास व कमियों के आधार पर पीड़िता के साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

31. प्रस्तुत प्रकरण की पीड़िता ठीक से बोल नहीं पाती केवल इशारों (सांकेतिक – भाषा) उसकी बातों को समझा जा सकता है, अतः पीड़िता का बयान मूक–बधिर विशेषज्ञ श्री चन्द्रमणि सिंह (H.I), विकास खण्ड गैसड़ी, थाना गैसड़ी जनपद बलरामपुर की उपस्थिति में उनके माध्यम से न्यायालय में किया गया। जिसमें पीड़िता को पत्रावली में शामिल अभियुक्त की फोटो दिखाकर उससे इशारों में पूछा गया तो पीड़िता के अनुसार उसने कहा कि अभियुक्त को उसने देखा है। **अभियुक्त ने उसके साथ गन्ना के खेत में उसका सलवार उतारा था।** अभियुक्त ने उसका कपड़ा नहीं फाड़ा था। अभियुक्त ने उसका सीना नहीं पकड़ा था। **पीड़िता से उसके वजाइनल अंग की ओर इशारे से विशेषज्ञ द्वारा पूंछने पर उसने इशारे में बताया कि उसके साथ अभियुक्त शाहिद ने बलात्कार किया है।** पीड़िता ने इशारे से धारा–164 दं०प्र०संहिता के बयान में लगी अपनी फोटो व निशानी अंगूठे की पुष्टि की तथा उसे प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया।

32. बचावपक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में पी०डब्लू०–3 पीड़िता ने कथन किया कि उसकी शादी नहीं हुई है। उसने इशारे से बताया कि उसके अम्मा व अब्बा ने उसकी शादी नहीं की। उसके छः भाई–बहन है। आगे कहा कि ...घटना के समय उसके घर पर उसके अब्बा, अम्मी, उसकी भतीजी घर पर मौजूद थे। उसकी भतीजी का नाम कहकशा व नाइला है। उसके घर से घटनास्थल पास में है। उसके घर से घटनास्थल गन्ने का खेत दिखाई देता है। रिपोर्ट लिखाने थाने पर किसके साथ गई थी, इस प्रश्न के इशारे को पीड़िता समझ नहीं पा रही थी। चूंकि पीड़िता पढ़ी–लिखी नहीं है, इसलिए बता नहीं पा रही है। थाने पर पुलिस

वालों ने उसका बयान लिया था कि नहीं, प्रश्न को विशेषज्ञ द्वारा इशारे से पूंछा गया तो इशारे को पीड़िता समझ नहीं पा रही थी। अभियुक्त व उसके घरवालों में कोई रंजिश है या नहीं, तो इशारे में बताया कि नहीं है।

33. पीड़िता ने विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये अपने बयान अंतर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श क–2 में भी मूक बधिर विशेषज्ञ व मजिस्ट्रेट द्वारा पूंछे गये प्रश्नो का उत्तर देते हुए कथन किया किः–

प्रश्न– शाहिद को जानती हैं आप ?

उत्तर– हाँ।

प्रश्न– शाहिन ने मारा–पीटा था आपको ?

उत्तर– नहीं।

प्रश्न– और कुछ किया था?

उत्तर– हाँ।

प्रश्न– क्या ?

उत्तर– **पीड़िता ने अपने बाएं हाथ को अपनी जांघों के बीच रखकर इशारा किया।**

प्रश्न – किसी ने कपड़ा उतारा था आपका ?

उत्तर– **हाँ।**

प्रश्न– अगर दो–तीन नाम पूंछे तो बता पाओगी ?

उत्तर –हाँ।

प्रश्न– शाहिद या कलीम ?

उत्तर– पीड़िता ने हाथ से इशारे से कपड़े उतारना बताया।

प्रश्न – कपड़ा कलीम ने उतारा था?

उत्तर– हाँ।

प्रश्न– पुनः प्रश्न पूंछा कपड़ा शाहिद ने उतारा था?

उत्तर– पीड़िता ने कहा, हाँ।

प्रश्न – कपड़ा उतार के क्या किया शाहिद ने?

उत्तर – **छुवां, छुवां पीड़िता बोली, फिर दाँए हाथ को अपनी जांघों के बीच रखकर कुछ इशारा किया।**

प्रश्न – घर कैसे आई तुम ?

उत्तर– पीड़िता ने उत्तर दिया बुआ और चुप हो गयी।

special educator श्री चन्द्रमणि सिंह के माध्यम से पीड़िता से सांकेतिक भाषा में मजिस्ट्रेट द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तरःः–

प्रश्न – आपका नाम क्या है?

उत्तर– पीड़िता चुप बैठी है।

प्रश्न – आपके अब्बा का नाम क्या है?

उत्तर – अब्बा है।

प्रश्न – घटना कब की है?

उत्तर – गन्ना, गन्ना जवाब दिया।

प्रश्न – गन्ना में क्या कर रही थी आप ? (पीड़िता special educator की भाषा समझने में सक्षम प्रतीत नहीं हो रही थी।) मजिस्ट्रेट द्वारा बार–बार प्रश्न किया गया।

प्रश्न – गन्ना खा रही थी आप ?

उत्तर – हैं। हैं। (पीड़िता द्वारा) (पीड़िता को समझ नहीं आया)

प्रश्न – गन्ना से किसी ने मारा था आपको ?

उत्तर – नाहीं।

प्रश्न – तब क्या हुआ था गन्ना से ?

उत्तर – गन्ना।

प्रश्न – गन्ना में कोई मिला था? गन्ना में कोई था ?

उत्तर – हाँ।

प्रश्न – कोई गांव का था ?

उत्तर – हैं। (पीड़िता को समझ नहीं आया)

प्रश्न –नाम जानती हैं आप उसका?

उत्तर– हाँ।

प्रश्न – नाम पूछेंगे तो बता देंगी आप उसका ?

उत्तर– हाँ।

प्रश्न– वहाँ पर कोई और भी था ?

उत्तर– हाँ।

प्रश्न – कौन था ?

उत्तर– बुआ।

प्रश्न – बुआ थी आपकी वहाँ ?

उत्तर– पीड़िता ने हूँ, हैं, किया। सांकेतिक भाषा भी नहीं समझ पा रही।

प्रश्न – बुआ नहीं थी वहाँ पर ?

उत्तर – हाँ।

प्रश्न – कितने दिन पहले की घटना है, मालूम है ?

उत्तर– हाँ।

प्रश्न – कितने दिन पहले की ?

उत्तर – गन्ना।

प्रश्न – बुआ के साथ थाने पर गयी थी।

उत्तर – हाँ। **पीड़िता अशिक्षित होने के कारण सांकेतिक भाषा नहीं समझ पा रही है।**

34. इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट है कि पीड़िता ने धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के साथ–साथ उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये सशपथ बयान में भी अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार किये जाने का स्पष्ट रूप से कथन किया है। हालांकि प्रश्नगत मामले की पीड़िता ठीसे से बोल न पाने के साथ–साथ अशिक्षित भी है, जिसके कारण बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पीड़िता से विस्तृत प्रतिपरीक्षा नहीं किया जाना प्रतीत होता है, परन्तु बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं आया जिससे अभियुक्त को लाभ प्राप्त हो सके। यहाँ तक कि बचावपक्ष द्वारा अपने पक्ष में घटना के मूल तथ्यों के सम्बन्ध में पीड़िता से कोई प्रश्न नहीं पूछे गये हैं, जिसका लाभ अभियोजन को प्राप्त होता है, न कि अभियुक्त ।

35. बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार जैसी कोई घटना कारित नहीं की गयी है, चिकित्सीय परीक्षण में पीड़िता के आन्तरिक व बाह्य परीक्षण में कोई भी चोट नहीं पायी गयी है।

36. उक्त के खण्डन में अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि पीड़िता के आन्तरिक व बाह्य परीक्षण में कोई चोट नहीं पायी गयी है परन्तु परीक्षण के बाद चिकित्सक द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना कारित किये जाने से इन्कार भी नहीं किया गया है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करने वाली डाक्टर, डा० अनीता पी०डब्लू०–4 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुई हैं, जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक–22.12.2022 को एम०आई०के०महिला अस्पताल में पीड़िता को महिला का०मीनाक्षी सिंह PNO No–212170036 लेकर उसके समक्ष आयी थी। पीड़िता होशो हवाश में थी परन्तु न सुन पा रही थी न ही साफ बोल ही पा रही थी। पीड़िता के साथ में उसकी भाभी साफिया पत्नी जुबेर थीं। पीड़िता अविवाहित थी। करीब 12 वर्ष से उसे मासिक धर्म होता था। मासिक धर्म नार्मल था। अन्तिम मासिक धर्म 07.12.2022 को बताया गया। पीड़िता के घटना के समय पहने हुए वस्त्र कुर्ता व सलवार महिला कान्सटेबल को सील करके एफ०एस०एल० जांच हेतु दिया गया था। घटना के समय वाला कपड़ा पीड़िता ने चेंज नहीं किया था न ही धुला था। घटना के बाद पीड़िता लैट्रिन तथा बाथरूम की आवश्यकता पड़ने पर गयी थी। जब उसके पास पीड़िता मेडिकोलीगल के लिए गई थी, उस समय घटना हुए एक दिन, तीन घंटा लगभग बीत चुका था। पीड़िता के शरीर पर कोई बाह्य

इंजरी नहीं पायी गयी थी। हाइमन पीड़िता का फटा हुआ था। पीड़िता के वेजाइना में डिसचार्ज तरल पदार्थ पाया गया था। उसने वेजाइनल स्मेयर और स्वैब लिया था तथा वल्–वल(Vulval) स्मैयर व स्वाब भी लिया था। **पीड़िता का वेजाइनल मुआयना करने पर उसने यह राय दी थी कि पीड़िता के साथ सेक्सुअल असाल्ट से इंकार नहीं किया जा सकता है।** अन्तिम राय FSL रिपोर्ट पर ही पेन्डिंग की गयी थी। साक्षी ने फारेन्सिक जांच हेतु पीड़िता का ब्लड टेस्ट लिया था, यूरिन सैम्पल सैंपल लिया था और एक लिफाफे में पीड़िता के सर के बाल कंघी से निकाले थे। स्कल्प हेयर 7 से 10, दांये व बांये हाथ के नाखून तथा नाखून के अन्दर की स्क्रैपिंग तथा प्यूबिक हेयर कटिंग करके लिया गया था। दूसरे लिफाफे में वल्–वल(Vulval) स्मेयर, वल्–वल(Vulval) स्वैब, वैजाइनल स्मेयर व वेजाइनल स्वैब, सरवाइकल स्मेयर व सरवाइकल स्वैब लिया था। नमूना मोहर डी०एन०ए० हेतु पीड़िता का ब्लड भी लिया गया था। मेडिकोलीगल रिपोर्ट उसने अपने लेख व हस्ताक्षर से तैयार की थी। साक्षी ने पीड़िता के मेडिकोलीगल रिपोर्ट को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है।

37. पी०डब्लू०–3 डा० अनीता ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि जब पीड़िता उसके पास मेडिकल परीक्षण हेतु लायी गयी थी तो उसका नाम व पता उसने पूँछा था, लेकिन उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। वह इशारा कर रही थी। पीड़िता का नाम पता उसने उसकी भाभी के बताने पर लिखा था। उसने पीड़िता की बात को समझने के लिए किसी एक्सपर्ट को नहीं बुलाया था, उसकी भाभी के बताने पर उसने सब लिखा था। उसने पीड़िता से पूंछने का प्रयास किया लेकिन पीड़िता कुछ बता नहीं पा रही थी। वह पीड़िता का आन्तरिक परीक्षण करने से पहले वह नहीं बता सकती कि उसका बलात्कार हुआ है कि नहीं। पीड़िता जब उसके पास चिकित्सीय परीक्षण के लिए गई थी तब उसका बी०पी० पल्स सभी सामान्य था। आगे साक्षी ने कहा कि शूक्राणु की स्लाइड उसने तैयार नहीं की थी, उसने वजाइनल स्मेयर की स्लाइड तैयार की थी। उसमें शुक्राणु थे या नहीं यह जाँच का विषय है। उसकी मेडिकोलीगल रिपोर्ट में उसने शुक्राणु के जीवित होने अथवा मृत होने की बात नहीं लिखी है। उसने पीड़िता का मेडिकल कपड़े हटाकर किया था। पीड़िता के शरीर पर उसे कोई वाह्य चोट के निशान नहीं थे न ही कोई खरोंच के निशान ही पाये गये थे। पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ है कि नहीं इसकी उसने कोई निश्चित राय नहीं दी है न ही बलात्कार हुआ है कि राय दी है।

38. विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट दिनांकित–20.10.2023 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वस्तु (1) से (8) – 1.वलवल स्वाब स्टिक, 2. वलवल स्मीयर स्लाइड, 3. वेजाइनल स्वाब स्टिक, 4. वेजाइनल स्मीयर स्लाइड, 5. सर्विकल स्वाब स्टिक, 6. सर्विकल स्मीयर स्लाइड, 7. सलवार तथा 8. समीज पर रक्त नहीं पाया गया। रक्त के

प्रारम्भिक परीक्षण हेतु बेंजीडीन परीक्षण प्रयोग में लाया गया।

वस्तु (8) पर मानव वीर्य पाया गया। (समीज)

वस्तु (8) पर शुक्राणु पाये गये। (समीज)

वस्तु (1) से (7) पर शुक्राणु अथवा वीर्य नहीं पाया गया।

शुक्राणु अथवा वीर्य के परीक्षण हेतु बायोकेमिकल्स व माइक्रोस्कोपिक विधियाँ प्रयोग की गयी।

39. माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्था **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम छोटेलाल एआईआर 2011 एससी 697** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां चिकित्सीय जांच में पीड़िता के गुप्तांग पर कोई बाहरी या आंतरिक निशान नहीं पाए गए, वहां अभियोजन पक्ष के इस साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता कि आरोपी ने उसके साथ बलात्कार नहीं किया था।

40. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में इस मामले को देखने पर यह स्पष्ट है कि इस मामले की पीड़िता द्वारा प्रत्येक स्तर पर अभियुक्त द्वारा उसके साथ जबरदस्ती उसके इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किये जाने सम्बन्धी कथन किया गया है। जहां तक चिकित्सक रिपोर्ट में चोटें न आने व चिकित्सक द्वारा बलात्कार के सम्बन्ध में कोई निश्चित राय न देने का प्रश्न है तो इसके सम्बन्ध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से बताया है कि अभियुक्त ने उसकी सलवार निकाल दी थी, तथा पीड़िता की मेडिकोलीगल रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि पीड़िता ने चिकित्सीय परीक्षण के पहले घटना के समय पहने हुए कपड़े नहीं बदले थे, लेकिन वह आवश्यकतानुसार घटना के बाद बाथरूम व शौच के लिए गयी थी। जिसके कारण यह हो सकता है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान पीड़िता के समीज (कुर्ता) में मानव वीर्य तथा शुक्राणु पाये गये जबकि सलवार में नहीं। पीड़िता के समीज (कुर्ता) में मानव वीर्य तथा शुक्राणु पाया जाना कथित घटना की पुष्टि करता है।

41. साक्षी पी०डब्लू०–5 निरीक्षक विजय कुमार सिंह (विवेचक) ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वादी मुकदमा अब्दुल कय्यूम व परिस्थितिजन्य साक्षी कहकशा, गुलशबा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए नक्शानजरी मौके पर बनाया गया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 6क नक्शा नजरी को विवेचक ने देखकर नक्शा नजरी व अपने हस्ताक्षर को तस्दीक दिया एवं प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया है। साक्षी ने नक्शा नजरी में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि 1. संकेत **(B)** से उस स्थान को दर्शाया गया है जहां पर अभियुक्त की मोटरसाइकिल खड़ी होना बताया गया। 2. संकेत **(H)** से उस स्थान को दर्शाया गया जहाँ से परिस्थितिजन्य साक्षियों

ने अभियुक्त शाहिद को गन्ने के खेत से संकेत (B) वाले स्थान पर निकलते हुए देखा था। 3. संकेत (X) से उस स्थान को दर्शाया है, जहाँ पर अभियुक्त द्वारा पीड़िता से साथ बलात्कार की घटना कारित किया जाना बताया गया। 4. संकेत **«– «–** से अभियुक्त का मोटरसाइकिल से भागने का मार्ग दर्शाया गया है। 5. संकेत (D) (E) (F) (G) से वादी की मकान दर्शाय गया है। 6. संकेत (C) से वादी का गेट दर्शाया गया है। 7. संकेत (C) से संकेत (A) चकरोड की दूरी करीब 73 कदम तथा संकेत (X) घटनास्थल से संकेत (A) चकरोड की दूरी करीब 23 कदम है।

42. (3) **क्या वादी मुकदमा अथवा पीड़िता द्वारा अभियुक्त को झूंठा उक्त मुकदमे में फंसाया गया?**

43. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि गांव की रंजिश के कारण वादी मुकदमा द्वारा पीड़िता के माध्यम से उसके खिलाफ बलात्कार का झूठा मुकदमा लिखाया था।

44. उक्त तथ्य के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया किं बचाव पक्ष का उक्त तक बलहीन है क्योंकि अभियुक्त द्वारा अपने कथन के समर्थन में न तो किसी साक्षी को परीक्षित कराया है एवं न ही कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित हो कि उसे झूंठा उपरोक्त मुकदमे में फंसाया गया है।

45. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **उ०प्र०राज्य बनाम छोटे लाल, ए0आई0आर0 2011, सुप्रीम कोर्ट, 697,** में बलात्कार के मामले में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि बलात्कार पीड़िता अपनी प्रतिष्ठा खोती है। पीड़िता एक व्यक्ति के रूप में अपना मूल्य खो देती है। हमारा समाज एक रूढ़िवादी समाज है, इसलिए एक महिला जबरन यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाकर अपनी प्रतिष्ठा को खतरे में नहीं डालेगी। पीड़िता के साक्ष्य की जाँच करते समय अदालतों को भारतीय समाज की परिस्थितियों के प्रति सजग रहना चाहिए और अन्य देशों की मान्यताओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अदालतों को यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की दुर्दशा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। समाज की मान्यताओं और मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि बलात्कार महिला उत्पीड़न का सबसे बुरा रूप है। जबरन यौन उत्पीड़न पीड़िता को अपमान, घृणा, अत्यधिक शर्मिंदगी, आघात और आजीवन भावनात्मक आघात पहुँचाता है, इसलिए यह बहुत कम संभावना है कि एक महिला, किसी को बलात्कार के अपराध में झूठे तरीके से फँसाए। भारतीय समाज में बलात्कार की पीड़िता

से जुड़ा कलंक आमतौर पर झूठे आरोप लगाने की संभावना को समाप्त कर देता है। एक भारतीय महिला पारंपरिक रूप से ब्लैकमेल, घृणा, द्वेष या बदले की भावना से झूठी कहानी नहीं गढ़ेगी और बलात्कार का आरोप नहीं लगाएगी।

46. यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अभियुक्त ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहित (धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) में मात्र यह कथन किया गया कि उसे गांव की रंजिश के कारण उपरोक्त मुकदमा में फंसाया गया है। उसके व उसके परिवार के विरोधियों द्वारा वादी मुकदमा से मिलकर साजिशन मुकदमा चलाया गया है। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है , न ही कोई प्रलेखीय साक्ष्य ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, और न ही उसके विरोधियों के सम्बन्ध में कोई कथन ही किया है, जिसके आधार पर यह साबित हो कि अभियुक्त को वादी मुकदमा ने अभियुक्त के विरोधियों के साथ मिलकर उसे झूंठा फंसाया गया है। गांव की रंजिश व उसके विरोधियों का तर्क स्वयं अभियुक्त द्वारा लिया गया है। इसलिए इस तथ्य को साबित करने का भार बचाव पक्ष/अभियुक्त पर जाता है परन्तु बचाव पक्ष रंजिशन झूठा मुकदमा लिखाने का तथ्य साबित करने मे पूर्णतः विफल रहा है। इसके अतिरिक्त बलात्कार जैसे गम्भीर मामले में उपरोक्त विधि व्यवस्था में अवधारित मत के आधार पर मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे गम्भीर मामलों में जहॉ पीड़िता व उसके परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है वहॉ उसके परिवार वाले असली अभियुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत नहीं करायेंगे। प्रस्तुत मामले में घटना का समय, तिथि व स्थान में कोई विरोधाभास नहीं है तथा धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता व न्यायालय के समक्ष दिये गये पीड़िता के बयान में एक रूपता रही है। उसके साक्ष्य में किसी तरह का तात्विक विरोधाभास नहीं है। घटना को पीड़िता द्वारा अपने विश्वसनीय साक्ष्य से युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित किया गया है जिसकी पुष्टि अन्य साक्षियों के साक्ष्य से भी होती है। अतः उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में अवधारित माननीय न्यायालय के अभिमत के प्रकाश में यह न्यायालय का मत है कि अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित है।

47. उपरोक्त विवेचन, विधिक प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आलोक में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि अभियुक्त ने वर्णित समय व स्थान पर जब पीड़िता बकरिया चरा रही थी, तब अभियुक्त ने उसे अकेला देखकर उसे गन्ने के खेत में खींच ले गया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित होते हैं। अतः अभियुक्त मो० शाहिद आरोपित

अपराध अन्तर्गत धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

1. अभियुक्त मो० शाहिद को सत्र वाद संख्या -55/2023 मुकदमा अपराध संख्या-318/2022 अन्तर्गत धारा-376 भारतीय दण्ड संहिता, थाना-तुलसीपुर, जिला बलरामपुर के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

2. अभियुक्त प्रस्तुत मामले में जमानत पर है। उसके जमानतनामें एवं बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके उत्तरदायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

3. पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु दिनांक 27.07.2026 को पेश हो। दोषसिद्ध नियत तिथि को जिला कारागार, बलरामपुर से तलब हो।

(**सुमित प्रेमी**)
सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध)
बलरामपुर
ID No.-UP1774

दिनांक-23.07.2026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० (महिलाओं के विरुद्ध अपराध), बलरामपुर।
उपस्थितः सुमित प्रेमी, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(ID No:UP1774)

सत्र परीक्षण संख्या–55/2023
(रजिस्टर पंजीयन संख्या–39/2023)
सी०एन०आर० नं०- UPBP010004202023

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन पक्ष।

बनाम

मोहम्मद शाहिद पुत्र अब्दुल कलीम निवासी मोहनपुर दलियाडीह, थाना तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर। ....अभियुक्त।

अपराध संख्या–318/2022
धारा–376 भा०दं०संहिता
थाना–तुलसीपुर
जनपद–बलरामपुर।

दिनांक–27.07.2026

1. पत्रावली दोषसिद्ध को दण्ड पर सुने जाने हेतु पेश हुई। दोषसिद्ध मो० शाहिद जिला कारागार से न्यायिक अभिरक्षा में समक्ष न्यायालय उपस्थित है। दण्ड के प्रश्न पर दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)को सुना गया।

2. दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि दोषसिद्ध का आपराधिक इतिहास नहीं है। यह उसका प्रथम अपराध है। दोषसिद्ध की आयु करीब 33 वर्ष का मजदूरी पेशा व्यक्ति है और हाल में शादी हुई है, उसकी पत्नी गर्भवती है। दोषसिद्ध के पिता की किडनी का इलाज Shifaa Hospital, Bangalore से चल रहा, जिसके प्रपत्र बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गये। दोषसिद्ध आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है। अतः दोषसिद्ध को प्रायश्चित करने का अवसर मिलना चाहिए। अतः कम से कम दण्ड की याचना की गयी।

3. बचाव पक्ष के उपरोक्त तर्क का विरोध करते हुए अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोषसिद्ध द्वारा कारित अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। कारित अपराध अत्यन्त ही घृणित व निन्दनीय है। दोषसिद्ध द्वारा पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया गया। अतः दोषसिद्ध को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये।

4. आपराधिक विधि शास्त्र में यह प्रारम्भिक प्रतिपादन है कि प्रत्येक मामले में दण्डादेश अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता के अनुक्रम में होना चाहिए। समुचित एवं

न्यायसंगत दण्ड को तय करने के लिए सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। दण्ड उस दोषी व्यक्ति को यह मान कर देना चाहिए कि उसके द्वारा कारित अपराध उसके स्वयं के तथा उस समाज के हितों के विरूद्ध है जिसका वह सदस्य था।

5. दोषसिद्ध की याचना के परिप्रेक्ष्य में इस मामले के तथ्य व परिस्थितियों पर गहन विचार किया गया। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में दोषसिद्ध को धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए निम्नांकित दण्ड से दण्डित किये जाने न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होगी।

आदेश

1. दोषसिद्ध मो० शाहिद को धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में **10 वर्ष के कठोर कारावास** एवं मु0 2,00,000/–रूपये (दो लाख रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में दोषसिद्ध **06 माह** का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

2. दोषसिद्ध द्वारा इस अपराध में जेल में व्यतीत की गयी अवधि उसके दण्डादेश में समायोजित की जायेगी।

3. अधिरोपित अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि में से मु० 1,50,000/–रु० धनराशि 357 दण्ड प्रक्रिया संहिता/395 BNSS के अंतर्गत पीड़िता को उसकी पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात प्रतिकर के रूप में दी जायेगी। शेष अर्थदण्ड की धनराशि राज्य सरकार के कोष में जमा की जाएगी।

4. दोषसिद्ध मो० शाहिद का दोषसिद्धि वारण्ट बनाकर सजा भुगतने हेतु उसे जिला कारागार, बलरामपुर भेजा जाय। निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध को अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाय।

5. इस निर्णय व आदेश की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर को नियमानुसार प्रेषित की जाए।

(**सुमित प्रेमी**)
अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध)
बलरामपुर
ID No.–UP1774

दिनांक– 27.07.2026

उपरोक्त निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(**सुमित प्रेमी**)
अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध)
बलरामपुर
ID No.–UP1774

दिनांक– 27.07.2026

Digitally signed by SUMIT PREMI
Date: 2026.07.27 16:50:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court